Gmail

GM M & E <menrhm@gmail.com>

Fwd: Supervision Vehicle Letter Pilibhit

1 message

Divpmu BAREILLY DIVISION <pmubareilly@gmail.com> Mon, Feb 19, 2018 at 2:47 PM
To: Monitoring Evaluation <menrhm@gmail.com>

Shahid Husain
Div. PM
Div. PMU - Bareilly

---------- Forwarded message ----------
From: **Cheif Medical Officer** <cmopbt2016@gmail.com>
Date: Mon, Feb 19, 2018 at 2:24 PM
Subject: Supervision Vehicle Letter Pilibhit
To: Mission Director Nrhm <mdupnrhm@gmail.com>, Divpmu BAREILLY DIVISION <pmubareilly@gmail.com>, adbly2016 <adbly2016@gmail.com>, addbry <addbry@up.nic.in>, Op Singh <opss58@gmail.com>, cmonrhm@gmail.com

--
Respected Sir,

PLZ find the attach file.

(Dr. O.P.Singh)
Chief Medical Officer
Pilibhit

Supervision Vehicle Letter Pilibhit.pdf
1292K

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी पीलीभीत।

पत्रॉकः—मु0चि0अ0 / आर0बी0एस0के0 / 2017—18 /   दिनॉकः—25.05.2017

कार्यालय ज्ञाप

जिला अधिकारी पीलीभीत के निर्देश दिनॉक 23.05.2017 के कम में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यकम हेतु बाहन व्यवस्था हेतु नवीन टेण्डर स्वीकृत होने तक पूर्व अनुमोदित निविदादाता से Daily-Payment basis पर सेवाएं प्राप्त की जायें । कम सं0—2 के लिये नया दर देय नहीं होगा।

Daily-Payment basis को किसी भी दशा में संविदा / टेन्डर का विस्तार न समझा जाये।

1003-1014
69-70

(डा0 ओ0 पी0 सिंह)
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
पीलीभीत।

पत्रॉकः—मु0चि0अ0 / आर0बी0एस0के0 / 2017—18 /   तद्दिनॉकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्त के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 19 ए विधान सभा मार्ग विशाल काम्पलैक्स लखनऊ।
02. महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश लखनऊ।
03. महानिदेशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ।
04. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं बरेली मण्डल बरेली।
05. जिलाधिकारी पीलीभीत।
06. अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी आर0सी0एच0पीलीभीत।
07. अधीक्षक, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामु0 स्वा0, प्रा0 स्वा0केन्द्र पूरनपुर, बीसलपुर, अमरिया, न्यूरिया, ललौरीखेड़ा बरखेड़ा, विलसण्डा पीलीभीत।
08. मैसर्स साईं टैवलर्स पुरानी पीलीभीत ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
पीलीभीत।

All Mo/c MD 2 DG Med
DGFW 2 A.D Bly

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी
ई-मेल प्राप्ति/
दिनांक 26.5.17
पीलीभीत

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DL 772011

अनुबन्ध पत्र

जिलाधिकारी / अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति पीलीभीत के अनुमोदन दिनॉक 26.10.2016, दिनॉक 28.12.2016 एवं दिनॉक 01.02.2017 के कम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी / सचिव जिला स्वास्थ्य समिति पीलीभीत एवं मैसर्स साई ट्रैवलर्स टनकरपुर रोड पुरानी पीलीभीत के मध्य।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जनपद पीलीभीत में संचालित हो रहे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यकम के प्रयोगार्थ , जनपद स्तरीय अधिकारियों के भ्रमण एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारियों के भ्रमण हेतु निविदा प्रकिया के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016–17 (दिनॉक 31.03.2017 अथवा नवीन निविदा होने तक के लिये निम्नानुसार अनुबन्ध सम्पादित किया जाता है।

1. यह कि द्वितीय पक्ष जनपद के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यकम के प्रयोगार्थ , जनपद स्तरीय अधिकारियों के भ्रमण एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारियों के भ्रमण हेतु टैक्सी परमिट वाहन की सुविधा निम्नानुसार अनुमोदित निविदा के अनुरूप उपलब्ध करायेगा तथा बीजक प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि को प्रत्येक दशा में सम्बन्धित इकाई प्रभारी को प्रस्तुत करेगा तथा सम्बन्धित इकाई प्रभारी प्रत्येक दशा में नियमानुसार एक सप्ताह के अन्दर भुगतान सुनिश्चित करेंगे।

विवरण	ईंधन एव समस्त करो सहित धनराशि रू0 प्रति वाहन
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यकम के प्रयोगार्थ (अधिकतम अनुमन्य धनराशि रू0 30000.00 प्रतिमाह मात्र सवारी क्षमता न्यूनतम 5, न्यूनतम तय दूरी 1800 किमी.) ब्लाक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से ब्लाक के समस्त राजकीय स्कूलों / आंगनवाडी केन्दों एव सरकारी तथा अर्धशासकीय भवनों तक बच्चों के चिकित्सीय परीक्षण हेतु चिकित्सीय टीम को ले जाने एव वापस लाने हेतु तथा माइकोप्लान के अनुसार फील्ड विजिट / जिला चिकित्सालय हेतु संदर्भन अथवा अन्य सम्बन्धित कार्य कराये जाने हेतु	28698.00
जनपद स्तरीय अधिकारियों के भ्रमण हेतु (अधिकतम अनुमन्य धनराशि रू0 25000.00 प्रतिमाह मात्र सवारी क्षमता न्यूनतम 5, न्यूनतम तय दूरी 1800 किमी.)(सं□ोधित अधिकतम धनरा□ि रू0–30000.00) जनपद स्तरीय अधिकारियो द्वारा जनपद के प्रत्येक सामुदायिक / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र / उपकेन्दों तक पहुँचने एव जनपद मे कही भी राजकीय भ्रमण किये जाने हेतु।	29500.00
ब्लाक स्तरीय अधिकारियों के भ्रमण हेतु (अधिकतम अनुमन्य धनराशि रू0 25000.00 प्रतिमाह मात्र सवारी क्षमता न्यूनतम 5, न्यूनतम तय दूरी 1800 किमी.)(सं□ोधित अधिकतम धनरा□ि रू0–30000.00) ब्लाक अधिकारियों द्वारा ब्लाक में तथा आव यकता होने पर जनपद में कहीं भी राजकीय भ्रमण किये जाने हेतु	29500.00

Sai Travels

1/2/17

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DL 772011

2. प्रथम पक्ष तथा सम्बन्धित प्रोग्राम अधिकारी, इकाई प्रभारियों के स्तर से पृथक से निर्गत आदे । मिलने के उपरान्त ही सम्बन्धित कार्यकमानुसार निर्धारित स्थल पर बाहन सुविधा द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

3. यह कि द्वितीय पक्ष के अतिरिक्त जनपद पीलीभीत के जिला स्वास्थ्य समिति पीलीभीत के अधीन विभिन्न कार्यकमों, चिकित्सालयों में अन्य कोई फर्म अनुबन्ध की अबधि में उक्त कार्य करने हेतु अर्ह नहीं होगी।

4. यह कि द्वितीय पक्ष को कार्यादे । अपनी आव यकतानुसार एवं बजट की उपलब्धता के अनुसार सम्बन्धित प्रोग्राम अधिकारी, चिकित्सालयों के प्रभारियों के स्तर से निर्गत किया जायेगा तथा फर्म का भुगतान भी समस्त करों को काटने के उपरान्त सम्बन्धित चिकित्सालयों के प्रभारियों के स्तर से किया जायेगा।

5. यह कि उपरोक्तानुसार अनुबन्ध दिनॉक 31.12.2016 के उपरान्त जारी रहने की स्थिति में भासकीय नियमों के अनुसार दरें सं ोधित की जा सकेंगी।

6 यह कि सेवा प्रदाता एजेन्सी का कार्य सन्तोशजनक न होने पर अथवा अनुबन्ध की भार्तो का उल्लंघन होने पर सेवा प्रदाता एजेन्सी से किया गया अनुबन्ध स्वतः ही समाप्त हो जायेगा।

7 यह कि सेवा प्रदाता एजेन्सी/द्वितीय पक्ष द्वारा बाहन में ईंधन,पेट्रोल,डीजल भरवाने एवं नियमित बाहन की साफ सफाई/नियमित जॉच/बीमा/प्रदूशण आदि कराया जायेगा तथा बाहन में किसी भी प्रकार की टूट फूट की मरम्मत एवं दुर्घटना आदि की भरपाई सेवा प्रदाता एजेन्सी, द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी।

8. यह कि सेवा प्रदाता एजेन्सी/द्वितीय पक्ष द्वारा बाहन पर वैद्य लाइसेंस धारक बाहन चालक की उपलब्ध कराया जायेगा।

9 यह कि सेवा प्रदाता एजेन्सी/द्वितीय पक्ष द्वारा बाहन पर उपलब्ध कराये गये बाहन चालक द्वारा अपनके कार्य के मध्य किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया जायेगा, सम्बन्धित बाहन चालक का कार्य सन्तोशजनक न होने पर सेवा प्रदाता एजेन्सी/द्वितीय पक्ष द्वारा तत्काल सम्बन्धित बाहन चालक को हटाकर उसकी तैनाती स्थल पर नया एवं योग्य बाहन चालक उपलब्ध कराना होगा।

10.समय समय पर भासन द्वारा दिये गये समस्त दि ा निर्दे । दोनों पक्षों को मान्य होंगी।

द्वितीय पक्ष
मैसर्स साई ट्रैवलर्स
नकपुर रोड पुरानी पीलीभीत(सेवा प्रदाता एजेन्सी)

M/s Sai Travels Regd. Partner Pilibhit (U.P.)

गबाह 1. पूरा नाम व पता

Surendra Singh
Vill- Purani Pilibhit
Dist - Pilibhit
Pin code - 262001

प्रथम पक्ष
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
/सचिव जिला स्वास्थ्य समिति
पीलीभीत।
गबाह 1.पूरा नाम व पता

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DL 768825

27 OCT 2016

अनुबन्ध पत्र

मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सचिव जिला स्वास्थ्य समिति पीलीभीत एवं मैसर्स साईं ट्रैवलर्स टनकपुर रोड पुरानी पीलीभीत के मध्य।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जनपद पीलीभीत में संचालित हो रहे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के प्रयोगार्थ, जनपद स्तरीय अधिकारियों के भ्रमण एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारियों के भ्रमण हेतु निविदा प्रकिया के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016–17 (दिनॉक 31.12.2016 अथवा नवीन निविदा होने तक जो भी पहले हो तक के लिये निम्नानुसार अनुबन्ध सम्पादित किया जाता है।

1. यह कि द्वितीय पक्ष जनपद के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के प्रयोगार्थ, जनपद स्तरीय अधिकारियों के भ्रमण एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारियों के भ्रमण हेतु टैक्सी परमिट बाहन की सुविधा निम्नानुसार अनुमोदित निविदा के अनुरूप उपलब्ध करायेगा तथा बीजक प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि को प्रत्येक दशा में सम्बन्धित इकाई प्रभारी को प्रस्तुत करेगा तथा सम्बन्धित इकाई प्रभारी प्रत्येक दशा में नियमानुसार एक सप्ताह के अन्दर भुगतान सुनिश्चित करेंगे।

विवरण	ईधन एवं समस्त करों सहित धनराशि रू0 प्रति वाहन
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के प्रयोगार्थ (अधिकतम अनुमन्य धनराशि रू0 30000.00 प्रतिमाह मात्र सवारी क्षमता न्यूनतम 5, न्यूनतम तय दूरी 1800 किमी.) ब्लाक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से ब्लाक के समस्त राजकीय स्कूलों/आंगनवाड़ी केन्द्रों एवं सरकारी तथा अर्धशासकीय भवनों तक बच्चों के चिकित्सीय परीक्षण हेतु चिकित्सीय टीम को ले जाने एवं वापस लाने हेतु तथा माइकोप्लान के अनुसार फील्ड विजिट/जिला चिकित्सालय हेतु संदर्भन अथवा अन्य सम्बन्धित कार्य कराये जाने हेतु	28698.00
जनपद स्तरीय अधिकारियों के भ्रमण हेतु (अधिकतम अनुमन्य धनराशि रू0 25000.00 प्रतिमाह मात्र सवारी क्षमता न्यूनतम 5, न्यूनतम तय दूरी 1800 किमी.)(संशोधित अधिकतम धनराशि रू0–30000.00) जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा जनपद के प्रत्येक सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/उपकेन्द्रों तक पहुँचने एवं जनपद में कहीं भी राजकीय भ्रमण किये जाने हेतु	29500.00
ब्लाक स्तरीय अधिकारियों के भ्रमण हेतु (अधिकतम अनुमन्य धनराशि रू0 25000.00 प्रतिमाह मात्र सवारी क्षमता न्यूनतम 5, न्यूनतम तय दूरी 1800 किमी.)(संशोधित अधिकतम धनराशि रू0–30000.00) ब्लाक अधिकारियों द्वारा ब्लाक में तथा आवश्यकता होने पर जनपद में कहीं भी राजकीय भ्रमण किये जाने हेतु	29500.00

Sai Travels

2. प्रथम पक्ष तथा सम्बन्धित प्रोग्राम अधिकारी, इकाई प्रभारियों के स्तर से पृथक से निर्गत आदेश मिलने के उपरान्त ही सम्बन्धित कार्यकमानुसार निर्धारित स्थल पर बाहन सुविधा द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

3. यह कि द्वितीय पक्ष के अतिरिक्त जनपद पीलीभीत के जिला स्वास्थ्य समिति पीलीभीत के अधीन विभिन्न कार्यकमों, चिकित्सालयों में अन्य कोई फर्म अनुबन्ध की अबधि में उक्त कार्य करने हेतु अर्ह नहीं होगी।

4. यह कि द्वितीय पक्ष को कार्यादेश अपनी आवश्यकतानुसार एवं बजट की उपलब्धता के अनुसार सम्बन्धित प्रोग्राम अधिकारी, चिकित्सालयों के प्रभारियों के स्तर से निर्गत किया जायेगा तथा फर्म का भुगतान भी समस्त करों को काटने के उपरान्त सम्बन्धित चिकित्सालयों के प्रभारियों के स्तर से किया जायेगा।

5. यह कि उपरोक्तानुसार अनुबन्ध दिनॉक 31.12.2016 के उपरान्त जारी रहने की स्थिति में शासकीय नियमों के अनुसार दरें संशोधित की जा सकेंगी।

6. यह कि सेवा प्रदाता एजेंसी का कार्य सन्तोषजनक न होने पर अथवा अनुबन्ध की शर्तो का उल्लंघन होने पर सेवा प्रदाता एजेन्सी से किया गया अनुबन्ध स्वतः ही समाप्त हो जायेगा।

7. यह कि सेवा प्रदाता एजेन्सी/द्वितीय पक्ष द्वारा बाहन में ईंधन,पेट्रोल,डीजल भरवाने एवं नियमित बाहन की साफ सफाई/नियमित जॉच/बीमा/प्रदूषण आदि कराया जायेगा तथा बाहन में किसी भी प्रकार की टूट फूट की मरम्मत एवं दुर्घटना आदि की भरपाई सेवा प्रदाता एजेन्सी, द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी।

8. यह कि सेवा प्रदाता एजेन्सी/द्वितीय पक्ष द्वारा बाहन पर वैद्य लाइसेंस धारक बाहन चालक की उपलब्ध कराया जायेगा।

9. यह कि सेवा प्रदाता एजेन्सी/द्वितीय पक्ष द्वारा बाहन पर उपलब्ध कराये गये बाहन चालक द्वारा अपने कार्य के मध्य किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया जायेगा, सम्बन्धित बाहन चालक का कार्य सन्तोषजनक न होने पर सेवा प्रदाता एजेन्सी/द्वितीय पक्ष द्वारा तत्काल सम्बन्धित बाहन चालक को हटाकर उसकी तैनाती स्थल पर नया एवं योग्य बाहन चालक उपलब्ध कराना होगा।

10.समय समय पर शासन द्वारा दिये गये समस्त दिशा निर्देश दोनों पक्षों को मान्य होंगे।

द्वितीय पक्ष
मैसर्स साई ट्रैवलर्स
टनकपुर रोड पुरानी पीलीभीत (सेवा प्रदाता एजेन्सी)

M/s Sai Travels
Partner
Pilibhit (U.P.)

गबाह 1. पूरा नाम व पता

Narendra Singh. Rathore.
Vill- Purani Pilibhit kohana.
Post. Kachheri

5.11.15
प्रथम पक्ष
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
/सचिव जिला स्वास्थ्य समिति
पीलीभीत।
गबाह 1.पूरा नाम व पता

7/11/20

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50 Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BK 671632

2. प्रथम पक्ष तथा सम्बन्धित प्रोग्राम अधिकारी, इकाई प्रभारियों के स्तर से पृथक से निर्गत आदेश मिलने के उपरान्त ही सम्बन्धित कार्यक्रमानुसार निर्धारित स्थल पर बाहन सुविधा द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

3. यह कि द्वितीय पक्ष के अतिरिक्त जनपद पीलीभीत के जिला स्वास्थ्य समिति पीलीभीत के अधीन विभिन्न कार्यक्रमों, चिकित्सालयों में अन्य कोई फर्म अनुबन्ध की अवधि में उक्त कार्य करने हेतु अर्ह नहीं होगी।

4. यह कि द्वितीय पक्ष को कार्यादेश अपनी आवश्यकतानुसार एवं बजट की उपलब्धता के अनुसार सम्बन्धित प्रोग्राम अधिकारी, चिकित्सालयों के प्रभारियों के स्तर से निर्गत किया जायेगा तथा फर्म का भुगतान भी समस्त करों को काटने के उपरान्त सम्बन्धित चिकित्सालयों के प्रभारियों के स्तर से किया जायेगा।

5. यह कि उपरोक्तानुसार अनुबन्ध दिनॉक 31.01.2017 के उपरान्त जारी रहने की स्थिति में शासकीय नियमों के अनुसार दरें संशोधित की जा सकेंगी।

6. यह कि सेवा प्रदाता एजेन्सी का कार्य सन्तोषजनक न होने पर अथवा अनुबन्ध की शर्तो का उल्लंघन होने पर सेवा प्रदाता एजेन्सी से किया गया अनुबन्ध स्वतः ही समाप्त हो जायेगा।

7. यह कि सेवा प्रदाता एजेन्सी/द्वितीय पक्ष द्वारा बाहन में ईंधन,पेट्रोल,डीजल भरवाने एवं नियमित बाहन की साफ सफाई/नियमित जॉच/बीमा/प्रदुषण आदि कराया जायेगा तथा बाहन मे किसी भी प्रकार की टूट फूट की मरम्मत एवं दुर्घटना आदि की भरपाई सेवा प्रदाता एजेन्सी, द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी।

8. यह कि सेवा प्रदाता एजेन्सी/द्वितीय पक्ष द्वारा बाहन पर वैद्य लाइसेंस धारक बाहन चालक ही उपलब्ध कराया जायेगा।

9. यह कि सेवा प्रदाता एजेन्सी/द्वितीय पक्ष द्वारा बाहन पर उपलब्ध कराये गये बाहन चालक द्वारा अपने कार्य के मध्य किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया जायेगा, सम्बन्धित बाहन चालक का कार्य सन्तोशजनक न होने पर सेवा प्रदाता एजेन्सी/द्वितीय पक्ष द्वारा तत्काल सम्बन्धित बाहन चालक को हटाकर उसकी तैनाती स्थल पर नया एवं योग्य बाहन चालक उपलब्ध कराना होगा।

10. समय समय पर शासन द्वारा दिये गये समस्त दिशा निर्देश दोनों पक्षों को मान्य होंगे।

M/s Sai Travels Regd. Partner Pilibhit (U.P.)

द्वितीय पक्ष	प्रथम पक्ष
मैसर्स साई ट्रैवलर्स	मुख्य चिकित्सा अधिकारी
टनकपुर रोड पुरानी पीलीभीत(सेवा प्रदाता एजेन्सी)	/सचिव जिला स्वास्थ्य समिति
	पीलीभीत।
गबाह 1. पूरा नाम व पता	गबाह 1.पूरा नाम व पता

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 671632

2. प्रथम पक्ष तथा सम्बन्धित प्रोग्राम अधिकारी, इकाई प्रभारियों के स्तर से पृथक से निर्गत आदेश मिलने के उपरान्त ही सम्बन्धित कार्यक्रमानुसार निर्धारित स्थल पर बाहन सुविधा द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

3. यह कि द्वितीय पक्ष के अतिरिक्त जनपद पीलीभीत के जिला स्वास्थ्य समिति पीलीभीत के अधीन विभिन्न कार्यक्रमों, चिकित्सालयों में अन्य कोई फर्म अनुबन्ध की अवधि में उक्त कार्य करने हेतु अर्ह नहीं होगी।

4. यह कि द्वितीय पक्ष को कार्यादेश अपनी आवश्यकतानुसार एवं बजट की उपलब्धता के अनुसार सम्बन्धित प्रोग्राम अधिकारी, चिकित्सालयों के प्रभारियों के स्तर से निर्गत किया जायेगा तथा फर्म का भुगतान भी समस्त करों को काटने के उपरान्त सम्बन्धित चिकित्सालयों के प्रभारियों के स्तर से किया जायेगा।

5. यह कि उपरोक्तानुसार अनुबन्ध दिनॉक 31.01.2017 के उपरान्त जारी रहने की स्थिति में शासकीय नियमों के अनुसार दरें संशोधित की जा सकेंगी।

6. यह कि सेवा प्रदाता एजेन्सी का कार्य सन्तोषजनक न होने पर अथवा अनुबन्ध की शर्तो का उल्लंघन होने पर सेवा प्रदाता एजेन्सी से किया गया अनुबन्ध स्वतः ही समाप्त हो जायेगा।

7. यह कि सेवा प्रदाता एजेन्सी/द्वितीय पक्ष द्वारा बाहन में ईंधन,पेट्रोल,डीजल भरवाने एवं नियमित बाहन की साफ सफाई/नियमित जॉच/बीमा/प्रदुषण आदि कराया जायेगा तथा बाहन मे किसी भी प्रकार की टूट फूट की मरम्मत एव दुर्घटना आदि की भरपाई सेवा प्रदाता एजेन्सी, द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी।

8. यह कि सेवा प्रदाता एजेन्सी/द्वितीय पक्ष द्वारा बाहन पर वैद्य लाइसेंस धारक बाहन चालक ही उपलब्ध कराया जायेगा।

9. यह कि सेवा प्रदाता एजेन्सी/द्वितीय पक्ष द्वारा बाहन पर उपलब्ध कराये गये बाहन चालक द्वारा अपने कार्य के मध्य किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया जायेगा, सम्बन्धित बाहन चालक का कार्य सन्तोशजनक न होने पर सेवा प्रदाता एजेन्सी/द्वितीय पक्ष द्वारा तत्काल सम्बन्धित बाहन चालक को हटाकर उसकी तैनाती स्थल पर नया एवं योग्य बाहन चालक उपलब्ध कराना होगा।

10. समय समय पर शासन द्वारा दिये गये समस्त दिशा निर्देश दोनों पक्षों को मान्य होंगे।

M/s Sai Travels Regd. Partner Pilibhit (U.P.)

द्वितीय पक्ष	प्रथम पक्ष
मैसर्स साई ट्रैवलर्स	मुख्य चिकित्सा अधिकारी
टनकपुर रोड पुरानी पीलीभीत(सेवा प्रदाता एजेन्सी)	/सचिव जिला स्वास्थ्य समिति पीलीभीत।
गबाह 1. पूरा नाम व पता	गबाह 1.पूरा नाम व पता

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 671631

अनुबन्ध पत्र

मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सचिव जिला स्वास्थ्य समिति पीलीभीत एवं मैसर्स साईं ट्रैवलर्स टनकरपुर रोड पुरानी पीलीभीत के मध्य।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जनपद पीलीभीत में सचालित हो रहे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के प्रयोगार्थ , जनपद स्तरीय अधिकारियों के भ्रमण एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारियों के भ्रमण हेतु निविदा प्रकिया के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016–17 (दिनॉक 31.01.2017 अथवा नवीन निविदा होने तक जो भी पहले हो तक के लिये निम्नानुसार अनुबन्ध सम्पादित किया जाता है।

1. यह कि द्वितीय पक्ष जनपद के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यकम के प्रयोगार्थ , जनपद स्तरीय अधिकारियों के भ्रमण एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारियों के भ्रमण हेतु टैक्सी परमिट बाहन की सुविधा निम्नानुसार अनुमोदित निविदा के अनुरुप उपलब्ध करायेगा तथा बीजक प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि को प्रत्येक दशा में सम्बन्धित इकाई प्रभारी को प्रस्तुत करेगा तथा सम्बन्धित इकाई प्रभारी प्रत्येक दशा में नियमानुसार एक सप्ताह के अन्दर भुगतान सुनिश्चित करेंगे।

विवरण	ईंधन एव समस्त करो सहित धनराशि रू0 प्रति वाहन
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यकम के प्रयोगार्थ (अधिकतम अनुमन्य धनराशि रू0 30000.00 प्रतिमाह मात्र सवारी क्षमता न्यूनतम 5, न्यूनतम तय दूरी 1800 किमी.) ब्लाक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से ब्लाक के समस्त राजकीय स्कूलों/आंगनवाडी केन्द्रों एवं सरकारी तथा अर्धशासकीय भवनों तक बच्चों के चिकित्सीय परीक्षण हेतु चिकित्सीय टीम को ले जाने एव वापस लाने हेतु तथा माइकोप्लान के अनुसार फील्ड विजिट/जिला चिकित्सालय हेतु संदर्भन अथवा अन्य सम्बन्धित कार्य कराये जाने हेतु	28698.00
जनपद स्तरीय अधिकारियों के भ्रमण हेतु (अधिकतम अनुमन्य धनराशि रू0 25000.00 प्रतिमाह मात्र सवारी क्षमता न्यूनतम 5, न्यूनतम तय दूरी 1800 किमी.)(संशोधित अधिकतम धनराशि रू0–30000.00) जनपद स्तरीय अधिकारियो द्वारा जनपद के प्रत्येक सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/उपकेन्दो तक पहुँचने एव जनपद में कहीं भी राजकीय भ्रमण किये जाने हेतु	29500.00
ब्लाक स्तरीय अधिकारियों के भ्रमण हेतु (अधिकतम अनुमन्य धनराशि रू0 25000.00 प्रतिमाह मात्र सवारी क्षमता न्यूनतम 5, न्यूनतम तय दूरी 1800 किमी.)(संशोधित अधिकतम धनराशि रू0–30000.00) ब्लाक अधिकारियों द्वारा ब्लाक मे तथा आव यकता होने पर जनपद में कहीं भी राजकीय भ्रमण किये जाने हेतु	29500.00

Sai Travels Regd.

15/1/17